न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./34/2025/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. सुखराम पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी नागडदा, तहसील शिव, जिला बाड़मेर।		1. वैरीसालसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत, निवासी विरधसिंह की ढाणी, तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. गेमरसिंह पुत्र दीपसिंह फौत के का. मु.– 2/1. जामतसिंह पुत्र गेमरसिंह 2/2. बागसिंह पुत्र गेमरसिंह 2/3. बाबूसिंह पुत्र गेमरसिंह 2/4. मूलसिंह पुत्र गेमरसिंह, जाति राजपूत, निवासी नगडदा, तहसील शिव, जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 87/2021 बउनवान वैरीसालसिंह बनाम सुखराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 11.12.2024 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः–

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुरेश कुमार पुनड़ रेस्पो. संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री डूंगरसिंह महेचा रेस्पो. संख्या 02 के समस्त वारिसान की ओर से।

–:निर्णयः–

दिनांकः–06.08.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 01 जो कि मौजा नागडदा, तहसील शिव के खसरा संख्या 394/261 रकबा 10.3599 हैक्टेयर के खातेदार हैं उक्त पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत एक आवेदन अपने खेत खसरा संख्या 394/261 में आवागमन हेतु अपीलांट/विप्रार्थी संख्या 01 व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वारिसान के विरूद्ध मौजा नागडदा 578/414 रकबा 2.5090 हैक्टेयर व खसरा संख्या 415 रकबा 14.1963 हैक्टेयर में से होकर रास्ता प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक तथ्यों को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में मौजा नागडदा तहसील शिव के खसरा संख्या 394/261 रकबा 10.3599 हैक्टेयर के खातेदार हैं उक्त पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत एक आवेदन अपने खेत खसरा संख्या 394/261 में आवागमन हेतु अपीलांट/विप्रार्थी संख्या 01 व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के वारिशान के विरूद्ध मौजा नागडदा 578/414 रकबा 2.5090 हैक्टेयर व खसरा संख्या 415 रकबा 14.1963 हैक्टेयर में से होकर रास्ता प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट बाद तामील अपनी पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया। अधिवक्ता ने जवाब पेश करने हेतु अवसर लिया परन्तु अधिवक्ता द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतते हुये कोई जवाब तक पेश नहीं किया गया। जवाब पेश नहीं करने बाबत् वकील द्वारा अपीलांट को सूचित भी नहीं किया था। बिना अपीलांट को किसी प्रकार की विधिक सूचना के ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश बिना अपीलांट को सुने ही एकतरफा पारित कर दिया जो विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के विरूद्ध है। हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोट तहसीलदार, शिव से मंगवाई गई जिसमें अपीलांट/विप्रार्थी को किसी भी प्रकार का उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी नहीं किया गया। प्रश्नगत मौका रिपोर्ट राजस्व कर्मचारियों द्वारा एक पक्षीय तैयार करवाकर तहसीलदार से काउन्टर हस्ताक्षर करवाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी गई, जिसको आधार मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन करते हुए पारित किया गया है। हस्तगत मौका रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा चाहे रास्ते के स्थल को खाली होना बताया गया है जो सरासर गलत होना बताया है इस

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रश्नगत मौका रिपोर्ट पर अपीलांट के हस्ताक्षर भी नहीं है। प्रश्नगत मौका रिपोर्ट राजस्व कर्मचारियों द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के प्रभाव में आकर एकतरफा/पक्षपात रूप से तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट बिना सूचना के ही तैयार की गई है एवं जिस दिन मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है। मौका रिपोर्ट में गलत तथ्यों का अंकन किया गया है, क्योंकि स्वीकृत रास्ते के स्थल में अपीलांट की रहवासी ढाणी, छपरा, बाड़ आदि बने हुए है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जबरदस्ती अपीलांट के उक्त निर्माण को ध्वस्त करते हुए रास्ता निकालने पर आमादा है। जिससे जनहानि एवं वाद–विवाद बढने की पूर्ण संभावना है। ऐसी स्थिति में विधि विरूद्ध रूप से पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाना न्यायसंगत होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में बहस के दौरान मेरे द्वारा यह निवेदन किया गया था कि अगर किसी कारणवश अपीलाधीन रास्ता घोषित किया जाता है तो अप्रार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में भूमि के बदले भूमि देने का आदेश प्रदान करावें क्योंकि अप्रार्थी लघु काश्तकार है। अप्रार्थी के पास कम व छोटा खेत है। एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के खेत में से पूर्व में भी एक रास्ता पारित किया जा चुका है। अगर हस्तगत आदेश के द्वारा एक रास्ता और पारित कर दिया जाता है तो मुझ रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की भूमि केवल रास्ते में ही पूर्ण हो जाएगी। इस आधार पर अपीलांट के खेत में से रास्ते का आदेश करना कानून सार्थक नहीं हैं। उक्त कथनों एवं मौका रिपोर्ट से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। बाद तामील अपीलांट द्वारा अपनी पैरवी हेतु अधीनस्थ न्यायालय में वकील नियुक्त किया गया। वकील को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में उभयपक्ष की

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कहीं अधिक दूरी के हैं। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांट हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त आराजी का खरीददार है। जिससे राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील करवाई गई। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में मजमे आम में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाइमेर

उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार आदेशित/प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के खेत तक पहुंचने के लिए कोई अन्य विकल्प/रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता सुगम एवं निकटतम है। अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रश्नगत रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हो गया है। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत हैं जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपत्ति में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से दिया गया है रास्ता विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 87/2021 बउनवान वैरीसालसिंह बनाम सुखराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 11.12.2024 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर